**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 98**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014, 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**महिला चालकों के लिए हैल्मेट**

98. **श्री राजकुमार धूत:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी में महिला चालकों के लिए हैल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश भर में महिला चालकों के लिए हैल्मेट पहनने को अनिवार्य करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍यमंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्णन)**

(क) और (ख): जी हां । राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्‍या एफ.19(38)/ट्रांसपोर्ट/सचिवालय/2011/176 दिनांक 28.08.2014 के तहत महिलाओं के लिए, सिख महिलाओं को छोड़कर जिनके लिए हैल्‍मेट पहनना वैकल्‍पिक है, रक्षक हैड गियर (हैल्‍मेट) पहनना अनिवार्य किया है ।

(ग) और (घ): मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार किसी मोटर साइकिल चलाने वाले अथवा उस पर सवार प्रत्‍येक व्‍यक्‍ति, पगड़ी पहनने वाले सिख को छोड़कर, को किसी सार्वजनिक स्‍थल पर भारतीय मानक ब्‍यूरो के मानकों को सुनिश्‍चित करते हुए रक्षक हैड गियर (हैल्‍मेट) पहनना होगा । मोटर यान अधिनियम, 1988 दो पहिया वाहन पर सवार किसी महिला सवारी को हैल्‍मेट पहने जाने से छूट प्रदान नहीं करता । कथित धारा 129 के दूसरे परन्‍तुक के अनुसार राज्‍य सरकार ऐसी छूट जैसा कि वे उपयुक्‍त समझें, प्रदान किए जाने के लिए नियम बना सकती हैं ।

**\*\*\*\***